



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-238  
23/11/2024

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102938

दिनांक : 23/01/2024

## लोक सूचना

श्री बैरु पुत्र श्री रघुनाथ निवासी ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का पर्यटन इकाई रिसोर्ट प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल हैक्ट.
1.	ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर (जयपुर)	बैरु पुत्र रघुनाथ जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार	1132 1133 1140/2 1137 1139	0.7700 0.5260 0.0900 1.3755 में से 0.2567 0.6000 में से 0.1613
कुल किता			05	1.8040 हैक्टर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना भरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23-01-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2024/डी-222

दिनांक 19.01.24

## सार्वजनिक सूचना

प्रार्थी श्री भरत चौधरी पुत्र श्री भंवर लाल जाट, चान्द करण चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल जाट जाति जाट निवासी सिरंसी ढाणी, सुक्खा बाबा की ढाणी, गांव निमेडा जिला जयपुर राज. एवं प्रदीप कुमार चौधरी पुत्र श्री पूरणमल निवासी ए-51, शास्त्री नगर, अमानीशाह रोड पीएम.सी. हाउस शास्त्री नगर, जयपुर के द्वारा ग्राम निमेडा तहसील जयपुर के ख.नं. 665/657 रकबा 0.0267 हैक्ट., ख.नं. 667/658 रकबा 0.8553 है. व ख.नं. 670/660 रकबा 0.0039 है. कुल 3 कुल रकबा 0.8859 हैक्टयर भूमि में आवासीय योजना अनुमोदन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में प्रकरण को जविप्रा की बीपीसी-एलपी की 342वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में रखा गया। जिसमें लिये गये निर्णय के अनुसार नविवि की अधिसूचना दिनां 10.08.2020 के अनुसार आवेदित योजना के सामने स्थित गोविन्दा की ढाणी से नानू बाबा की ढाणी तक जाने वाले रास्ते के मार्गाधिकार 18मीटर (मध्य से 9-9 मीटर दोनों ओर) निर्धारण बाबत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है

अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 222

दिनांक 19-1-2024

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फ़ैक्स-+91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2023/डी- ५१०८

दिनांक:- 18/01/24

## सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	ए-5	200.00 व.ग.	प्रिम प्रोविन्स	अन्जु शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा	श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व. श्री रामजीलाल प्रधान	रजिस्टर्ड मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड वसीयतनामा व शपथ पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-9,  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करारें।

उपायुक्त जोन-9,  
जविप्रा, जयपुर।




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय—आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामअवतार व श्री विनोद कुमार पुत्रांन श्री गंगा सहाय	श्रीमती दाखा देवी पत्नी श्री गंगा सहाय, श्री रामअवतार व श्री विनोद कुमार पुत्रांन श्री गंगा सहाय	9/DO/43	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण एवं लीजहोल्ड से फ्रिहोल्ड	श्रीमती दाखा देवी की मृत्यु पश्चात पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर


  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा / जोन-9 / 2024 / क्रमांक: / डी- 4899  
दिनांक 18/01/24

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2024/डी- 110

दिनांक 19-01-2024

## विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।


क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	10	हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सरस्वती नगर ई-2	श्री जयराम गहलोत पुत्र श्री मधाराम गहलोत	श्री जयराम गहलोत पुत्र श्री मधाराम गहलोत	पंजीकृत पट्टा, साईड प्लान, स्टाम्प गुम हो जाने पर ऑनलाईन एफआईआर, खोया पाया में प्रकाशन के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2024/डी- 101

दिनांक 18.01.2024

## विज्ञप्ति / सूचना


आवेदकगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदकगण के पक्ष में लीजहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	638	जविप्रा की पुनर्वास योजना मनोहरपुरा कच्ची बस्ती	श्रीमती कल्ली देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल बैरवा, श्री अक्षय बैरवा, श्री विजय बैरवा पुत्रान स्व. श्री गोपाल बैरवा, रविना बैरवा पुत्री स्व. श्री गोपाल बैरवा	श्री गोपाल पुत्र श्री नारायण	जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवंटन गुम हो जाने पर ऑनलाईन एफआईआर, खोया पाया में प्रकाशन के आधार पर।

  
उपायुक्त जोन-4  
जयपुर  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

  
उपायुक्त जोन-4  
जयपुर  
जविप्रा, जयपुर